I/462/2023

I/462/2023

सत्यमेव जयते

संख्या– 462 /जी0एस0(शिक्षा)/**A4-59(II)**/2020

प्रेषक,

रविनाथ रामन
सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।

सेवा में,

कुलपति,
वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
सुद्धोवाला, देहरादून।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड : देहरादून : दिनांक : 13 जुलाई, 2023

महोदय,

कृपया विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–3967, दिनांक 27.02.2023 एवं पत्र संख्या–3968, दिनांक 27.03.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उपरोक्त सन्दर्भ के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नियामक संस्था, निरीक्षण मण्ड़ल, कुलपति व कुलसचिव, वी०मा०सिं०भ० उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (यथा अद्यतन संशोधित) की धारा–24(2) के अधीन निम्नवत् संस्थान को उसके सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु छात्रहित में मा0 कुलाधिपति द्वारा निम्नवत् उपबन्धों के साथ पूर्वानुमोदन प्रदान किया गया है :–

संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम	शैक्षिक सत्र एवं सीट संख्या	
		नवीन अ0स0	अस्थाई स0वि0
		सत्र 2022–23	
1	2	3	4
शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, सिंहनीवाला, पो0–शेरपुर, शिमला रोड़, देहरादून	बी0टैक0 :–		
	1. Civil Engg.	--	30
	2. Computer Science & Engg.	--	150
	3. Electronics & Communication Engg.	--	30
	4. Mechanical Engg.	--	30
	5. Computer Science & Engg. (Aftificial Intelligence and Machine Learning)	30	--
	6. Computer Science & Engg. (Data Sceince)	30	--

(1) वार्षिक ऑडिट/बैलेन्सशीट संलग्न नहीं है तथा छात्रों के व्यवहारिक ज्ञान व प्रशिक्षण हेतु की गई व्यवस्था से संबंधित साक्ष्य संलग्न नहीं है। प्रस्ताव में परिलक्षित कमियों को पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय है। इस क्रम में विश्वविद्यालय को निदेशित किया जाता है कि

Generated from eOffice by SACHCHIDA NAND CHAMOLI, SO-SNC, SECTION OFFICER, Rajbhawan on 13/07/2023 04:49 pm

I/462/2023

आगामी सत्र से पूर्व उक्त मानक पूर्ण कर लिऐ जायं तथा जब तक उपरोक्त मानक पूर्ण नहीं कर लिये जाते, तब तक प्रश्नगत पाठ्यक्रमों में पूर्व से प्रवेशित छात्रों का कोर्स पूर्ण होने तक की सम्बद्धता प्रदान करने की कार्रवाई की जाय तथा आगामी सत्र में नवीन प्रवेश पूर्णतः वर्जित किये जायं।

(2) प्राभूति राशि के सम्बन्ध में शासन स्तर पर कार्यवाही गतिमान है तथापि विश्वविद्यालय को निदेशित किया जाता है कि जब तक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्राभूति राशि को पुनरीक्षित करने विषयक निर्णय लिया जाता है, तब तक संस्थान से पूर्व से,नियत प्राभूति धनराशि जमा कराई जाय और साथ ही प्राभूति हेतु लिया जा रहा शपथ–पत्र भी प्राप्त किया जाय।

(3) यदि संस्थान द्वारा एक या एक से अधिक विश्वविद्यालय से पाठ्यक्रम की सम्बद्धता प्राप्त की गई हो तो संस्थान समस्त पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता को एक साथ रखकर पाठ्यक्रमवार मानक पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में आख्या संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराई जायेगी तथा संस्थान से प्राप्त आख्या का परीक्षण करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा राज्यपाल सचिवालय को उपलब्ध कराई जायेगी।

(4) अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव नियामक संस्था, विश्वविद्यालय एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार किये जायेंगे अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नही किया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

(5) विश्वविद्यालय, नियामक संस्था व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सभी मानकों के पूर्ण होने की दशा में ही कार्यपरिषद के अनुमोदन से विहित शर्तों/उपबन्धों के अधीन अस्थाई सम्बद्धता के आदेश निर्गत करे व तत्सम्बन्धी कार्यवाही की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ उपलब्ध कराये।

Signed by Ravinath Raman भवदीय,
Date: 13-07-2023 12:21:32

(रविनाथ रामन)
सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।

संख्या– (1)/जी0एस0(शिक्षा)/**A4-59(II)**/2020 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :–

1 सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2 प्राचार्य/निदेशक, संबंधित संस्थान।
3 कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(स्वाति एस0 भदौरिया)
अपर सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।

Generated from eOffice by SACHCHIDA NAND CHAMOLI, SO-SNC, SECTION OFFICER, Rajbhawan on 13/07/2023 04:49 pm